रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –41 ● अंक –3 ● कानपुर 1 से 15 फरवरी 2019 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

मान्यता की चाहत में होश न खोयें

आजकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक बार फिर मान्यता को लेकर घमासान है हर तरफ मान्यता की ही चर्चा है, लोग इसी में व्यस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिर मान्यता किसको मिलेगी या मिलने की सम्भावना है। कभी कभी तो चर्चायें इतनी गरम हो जाती हैं जो कि स्थिति को मद्र से अमद्र तक ले जाती हैं।

प्रदेश का पूर्वांचल इलाका हो या पश्चिमी – हर ओर माहौल गरम है, हर संचालक अपने आप को सर्वाधिकार सम्पन्न बताता है और हमारा चिकित्सक भी इतना चतुर हो चुका है कि वह अपने आपसे ज्यादा किसी को समझदार नहीं मानता। परिणाम यह है कि एक नई अराजकता जन्म ले रही है यह सारे के सारे दृश्य एक नये परिदृश्य की संरचना कर रहे हैं और जब इन सारे परिदृश्यों को मिलाकर आने वाले भविष्य की कल्पना की जाती है तो बहुत ज्यादा आशा बलवती नहीं होती है ! समाज का नियम है कि वह परिवर्तन के साथ चलता है, परिवर्तन प्रकृति करे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब परिवर्तन की दिशा अपने बदल दें तो मन सोचने को विवश हो जाता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अभी तक कार्य करने के लिए वातावरण अच्छा है शासकीय सोच भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पक्ष में है सरकार का सहयोग और समर्थन लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथों को मिल रहा है, फिर ऐसी कौन सी नई स्थिति पैदा हो जाती है जो हमारे साथी विचलित हो जाते हैं और विचलन भी इस प्रकार की होती है जिससे कि वह कुछ ऐसा कर डालते हैं जिससे कि नई परिस्थितियां जन्म ले लेती हैं, वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबसे महत्वपूर्ण विषय है चिकित्सकों के पंजीयन का।

प्रदेश में वर्तमान लागू व्यवस्था के अनुसार चिकित्सकों को चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अपने पंजीयन का आवेदन करना होता है पहली व्यवस्था के अनुसार सभी अधिकारी चिकित्सकों का पंजीयन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में हुआ करता था इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक भी अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां प्रेषित कर देते थे, यह अलग बात है कि अलग–अलग जिलो में मुख्य चिकित्साधिकारी अलग–अलग रवैया अपनाते रहे हैं लेकिन अगस्त 2016 में पंजीयन की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों का पंजीयन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में होता है।

होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय में।

मात्र एलोपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए अभी तक सरकार द्वारा तो कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और न ही कोई पंजीयन से सम्बन्धित स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं ऐसी स्थिति में मात्र एक ही रास्ता बचता है कि जब तक सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए कोई पृथक व्यवस्था नहीं की जाती है अथवा किसी विभाग को स्पष्ट निर्देश नहीं दिये जाते हैं तब तक जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को पंजीयन का आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये जिससे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन हो सके और यह इसलिए भी आवश्यक है कि जांच के समय कोई भी अधिकारी आप पर यह आरोप न लगा सके कि आपने प्रचलित व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया है इसलिए आप चिकित्सा व्यवसाय के पात्र नहीं हैं, यदि आपने पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रखा है तो आप जांच अधिकारी से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं और प्राप्त अधिकारों के बारे में उस अधिकारी को बता भी सकते हैं, जिससे कि आपकी अपनी प्रैक्टिस की वैधानिकता और अधिकारिता की प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है। इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक नेताओं के मध्य मतयक्ता नहीं है वह एक दूसरे के विरूद्ध टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आते हैं इस तरह के कार्यों से हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और भ्रमित व्यक्ति कभी भी सकारात्मक निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है, परिणाम यह होता है कि हमारे अधिकांश चिकित्सक अनिर्णय में पड़े रहते हैं अधिकार होते हुए भी अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

कदाचित ऐसी स्थिति का यदि जन्म न हो तो ही अच्छा है और यदि परिस्थितियों वश जन्म हो ही जाता है तो उनका शीघ्र शमन होना भी अति आवश्यक है, शमन की आवश्यकता इसलिए है कि जब कोई विषय बहुत लम्बे समय तक अनिर्णित रहता है तो लोगों का विश्वास उठने लगता है।

डगमगाये विश्वास वाला व्यक्ति कभी भी अपेक्षित परिणाम नहीं देता क्योंकि उसकी मनःस्थिति स्थिर ही नहीं रह पाती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को यदि बहुत दूर तक आगे ले जाना है तो यह सभी जिम्मेदारों का दायित्व है कि कोई ऐसी कार्ययोजना तैयार करें जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक समाज में फैली भ्रांतियां दूर हो सकें अधिकारिता और अनाधिका – रिता पर चर्चायें अब बन्द होनी चाहिये, क्योंकि यह बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है, समय बदल चुका है हमें अपनी कार्यशैली में समय के अनुसार परिवर्तन करना होगा क्योंकि हम अधिकार सम्पन्न हो चुके हैं अब तो सरकार हमें मान्यता देने की सोच रही है अतः हमें ऐसे वह कार्य कदापि नहीं करना चाहिये जिससे आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मान्यता में कोई अवरोध उत्पन्न हो।

अतः अब वह समय आ समय आ गया है कि आवश्यक हो गया है कि कार्य करने की प्रवृत्ति का पुनर्जागरण करना होगा तभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वास्तविक विकास सम्भव हो पायेगा।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट/अध्ययन केन्द्र व्यवस्थायें ठीक कर लें

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति दिन–प्रतिदिन स्थिर व मज़बूत होती जा रही है और अब तो शासकीय संरक्षण की व्यवस्थायें भी बनती जा रही हैं इसलिये भविष्य को देखते हुये बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से सम्बद्ध सभी इन्सटीट्यूट व अध्ययन केन्द्र बोर्ड द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों (Guide Lines) के अनुरूप अपनी व्यवस्थायें ठीक कर लें यह विचार बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने 70 वें गणतन्त्र दिवस के अवसर पर व्यक्त किये।

समारोह बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के कार्यालय में किया गया, समारोह में उपस्थित सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथों को सम्बोधित करते हुये डा0 इदरीसी ने कहा कि बहुत सम्भव है कि भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमितिकरण के लिये कोई आदेश शीघ्र ही जारी हो जाये, इस आदेश में काम करने के लिये कुछ मानक भी निश्चित किये जायेंगे इन मानकों को जो पूरा करेगा वही कार्य करने का अधिकारी होगा। बोर्ड ने सम्भावित मानकों के अनुसार ही आपको दिशा निर्देश जारी किये हैं अब यह हर संस्था संचालक का दायित्व है कि वे समय रहते अपनी व्यवस्थाओं को सुधार लें। डा0 इदरीसी ने ज़ोर देकर कहा कि वैसे तो हमारे हर संस्थान में ओ0पी0डी0 की व्यवस्था है फिर भी यदि किसी संस्था के पास डिस्पेन्सरी/ ओ0पी0डी0 की व्यवस्था नहीं है वे अतिशीघ्र डिस्पेन्सरी/ओ0 पी0डी0 अवश्य प्रारम्भ कर दें,

कुछ लोगों ने जानना चाहा कि भारत सरकार द्वारा मांगे गये प्रपोजल के सन्दर्भ में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की क्या रणनीति है ?इस पर डा0 इदरीसी ने कहा कि आपकी स्थिति औरों से भिन्न है, आपके पास 21 जून, 2011 का आदेश है इसी आदेश के आधार पर पूरे देश में विभिन्न संगठनों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का संचालन हो रहा है और आपकी स्थिति एक नीति नियामक संस्था के रूप में है अस्तु प्रपोजल के सम्बन्ध में हमारा विचार वही है जो सरकार का है।

डा0 इदरीसी ने कहा कि एक संस्था संचालक द्वारा छात्रों के बीच यह प्रचारित किया जा रहा है कि उनका प्रपोजल भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है उसपर कार्यवाही भी चल रही है और उन्हीं की संस्था को मान्यता का अधिकार मिलेगा, डा0 इदरीसी ने कहा कि मनगढ़त बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये डा0 इदरीसी ने आगे कहा कि भारत सरकार जो भी आदेश जारी करेगी वह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिये होगा न कि किसी व्यक्ति या संस्था विशेष के लिये। कल क्या होगा ?इस पर चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है आप सब लोग खुलकर काम करें अधिक से अधिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन करें जिससे जनता से सीधा सम्पर्क हो सके।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के विकास में यह कार्य सबसे प्रभावी और उपयुक्त है जो लोग यह मान बैठे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अब नहीं चल रही है उनका भ्रम भी दूर हो जायेगा तथा सरकार की नज़र में भी आपका कार्य आयेगा, सभी प्रश्नों का उत्तर देकर डा0 इदरीसी ने सभी की जिज्ञासायें शान्त कर दीं।

क्या ! मान्यता – मान्यता

क्या मान्यता मान्यता लगा रखा है ! इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिलाने का बीड़ा ऐसा लगता है कि हर चिकित्सक ने अपने कंधों पर उठा रखा है इसीलिये जिसका जब जो मन करता है वह कर गुज़रने में रत्ती भर भी पीछे नहीं रहता है, परिणाम यह होता है कि मान्यता के प्रथम पायदान पर तो वह पहुँच भी नहीं पाता अपितु जहाँ वह खड़ा है वहाँ से भी वह नीचे आने लगता है और कभी–कभी तो उस एक व्यक्ति का किया हुआ कृत्य लाखों को नुकसान पहुँचाने में सक्षम हो जाता है, वैसे आज तक का इतिहास साक्षी है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को जो भी नुकसान पहुँचा है वह संस्था विशेष द्वारा किसी एक व्यक्ति द्वारा ही पहुँचा है, किसी भी समूह ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को कोई क्षति नहीं पहुँचायी है, जो भी क्षति पहुँची है वह अनावश्यक लिखा–पढ़ी के कारण ही पहुँची है, पहले भी इस प्रकार की अनेकों हानियाँ हो चुकी हैं जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक समाज से जुड़ा हर व्यक्ति यह जानता है कि आज देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का एक स्वस्थ वातावरण उपलब्ध है यदि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करते हैं तो कार्य में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है बशर्ते हम जिस राज्य में कार्य कर रहे हैं उस राज्य में कार्य करने के लिये प्रचलित नियमों और कानूनों का पालन कर रहे हों, अब जब कार्य करने का अधिकार प्राप्त है तो सम्बन्धित विभाग से अनावश्यक पत्र व्यवहार कर यह जानकारी प्राप्त करना कि क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का अधिकार है ? अब आप स्वयं विचार करें कि जब इस प्रकार के प्रश्न बार–बार किये जायेंगे तो कभी न कभी कोई अधिकारी झुंझलाकर यदि यह उत्तर देदे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अधिकृत नहीं है तो सोचिये परिणाम क्या होगा ? जी हाँ ! हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अनर्गल और अनावश्यक जानकारियां क्या परिणाम दे सकती हैं ?आज कल इस प्रकार के प्रयास हमारे कुछ अति उत्साही नवजवान साथी इस तरह के कार्यों में कुछ ज़्यादा ही लिप्त हैं , उनकी यह लिप्तता उन्हें कितना लाभ पहुँचायेगी यह तो हमारे यही साथी बता पायेंगे हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को यह अंतिम सत्य स्वीकार कर लेना चाहिये कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिलती है तब तक भारत सरकार द्वारा 25 नवम्बर, 2003 को जारी आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना होगा, जब सरकार आपके कार्य से संतुष्ट हो जायेगी तो सरकार मान्यता का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर देगी इसलिये हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को यह समझ लेना होगा कि जो लोग ज़्यादा जानकारियां अर्जित कर रहे हैं वे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित साधक नहीं हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का हित चाहने वाले सिर्फ कार्य को ही प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करते हैं और कार्य करते हुये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की राह आसान कर रहे हैं, जो लोग कार्य न करके सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं उनको अपने कर्तव्यों का बोध अवश्य कर लेना चाहिये, जीवन में यदि सफला पानी है तो लघु मार्ग कभी भी लाभकारी नहीं होता है इसलिये मान्यता का बीड़ा छोड़कर सिर्फ पूर्ण सफलता प्राप्त करने का विचार करना चाहिये, जो लोग इस तरह का प्रयास करते हैं वे तर्क दिया करते हैं कि हमें लोगों की उदासी देखी नहीं जाती इसलिये हम प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को यह समझ लेना चाहिये कि जो लोग सिर्फ अपने गौरवशाली अतीत में जीते हैं वह लोग उदास रहते हैं, जो सिर्फ अच्छे भविष्य की कल्पना करते है वह वर्तमान में जीते हैं और वे ही प्रसन्न रहते हैं।

हमारा वर्तमान जैसा भी है अच्छा है इसी अच्छे वर्तमान में काम करते हुये यदि हम अच्छे भविष्य की कामना करते हैं तो परिणाम सुखद ही होते हैं इसलिये देश में जो लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथ कार्य कर रहे हैं वह प्रसन्न मन से प्राप्त अधिकारों का उपभोग करते हुये स्वर्णिम भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं सफलता निश्चित है शासन और सरकार दोनों इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये सकारात्मक रुख अपनाये हुये हैं हम ही नहीं बदले तो सरकार क्या करेगी ?नित्य नये–नये शोध हो रहे हैं यदि हमें प्रतिस्पर्धा में रहना है तो वास्तविक कार्य करना होगा, जो नहीं सुधर रहे हैं हमें आशा है कि वे भी ज़रुर सुधर जायेंगे मान्यता का बीड़ा उठाने की अपेक्षा काम में लगें।

जिज्ञासा है

कुछ प्राप्त करने की

लोग जीवन भर कुछ पाने की तलाश में भटकते रहते हैं और इसी कुछ पाने की चाहत में वह भ्रम जाल में उलझते हुए जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं परिणाम यह होता है कि उन्हें कुछ प्राप्त होता नहीं बल्कि वह पुराने को भी गवां बैठते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लगभग आज भी 90 प्रतिशत लोग कुछ पाने की लालसा में भटक रहे हैं वह यह नहीं सोच पाते कि घटनायें तो रोज़ घटती रहती हैं लेकिन कुछ चीज़ें बार–बार नई नहीं होती हैं जैसे माता पिता एक बार मिल जाते हैं जीवन भर वह हमें संरक्षण देते हैं क्या किसी को जीवन में कई बार नये माता पिता मिलते हैं ? तो इसका उत्तर शायद 100 प्रतिशत लोग न में ही देंगे।

अपवाद हर जगह होते हैं इसलिए उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिये यहां पर यह प्रसंग इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि प्रतिदिन हज़ारों व्यक्ति जिम्मेदार लोगों से पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या ?कुछ प्राप्त हुआ है क्या ?यदि यह प्रश्न कोई नव प्रवेशी या नया समर्थक करे तो बात समझ में आती है कि शायद इस व्यक्ति की जिज्ञासा होगी लेकिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सेवा में बिता दिया हो और जब ऐसे लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं तो बहुत अटपटा सा लगता है पाने की तलाश हमें तब थी जब हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे आज अधिकार मिल चुके हैं सिर्फ कार्य करना है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत कुछ प्राप्त हुआ है सबसे पहला कुछ प्राप्त हुआ 27 मार्च, 1953 को जब उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला अर्धशासकीय पत्र जारी किया था और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शासकीय संरक्षण मिलने की आस जगी थी, दूसरी बार कुछ प्राप्त हुआ था 24 अप्रैल, 1975 को जब बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की स्थापना हुई थी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए विद्यालयी अवधारणा आकार में लायी गयी थी, तीसरी बार कुछ प्राप्त हुआ था जब 18 नवम्बर, 1998 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भारत सरकार सहित सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किये थे, चौथी बार प्राप्त हुआ था 25 नवम्बर, 2003 का वह आदेश जो अज्ञानता व अविवेक के कारण उस समय विष बन गया था आज वही संजीवनी बनकर सामने है, पांचवीं बार कुछ प्राप्त हुआ था 5–5–2010 को जब सात साल की गहरी निराशा के बाद आशा की किरण जगी थी, छठी बार कुछ हुआ था जब 21 जून, 2011 को भारत सरकार का आदेश आया जिसने काम करने की सारी बाधायें दूर कर दीं। जैसे बालक जन्म के छठवें दिन हर घर में छठी का उत्सव मनाया जाता है और कामना की जाती है कि जन्मे बालक का भाग्य प्रबल हो और भविष्य उज्जवल हो, सातवीं बार कुछ प्राप्त हुआ वह है सन् 2012 का आदेश, जिसने पूरे प्रदेश को प्रफुल्लित करके रख दिया, संतान जन्म के बारहवें दिन संतान का बारहवां मनाकर यह बताया जाता है कि अब यह संतान राष्ट्रहित, परिवार हित व समाज हित के लिए कार्य करेगा। 4 जनवरी, 2012 का यह आदेश हमें यही संदेश देता है कि अब सिर्फ कार्य करना है और कार्य करते हुए पद्धति को आगे ले जाना है इसे हम महज़ संयोग नहीं कहेंगे और न ही शब्दों की बाज़ीगरी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबकुछ वही घटित हुआ जो परम्पराओं में वर्णित है। शिशु जन्म के बाद शिशु को पढ़ना होता मेहनत करनी होती है अपने लिए दिशा तय करनी होती है अभिभावक पठन पाठन के लिए सिर्फ विद्यालय का चयन करते हैं और ज्ञानार्जन की प्रक्रिया पूरी कराते हैं लेकिन ज्ञान और प्रतिभा का प्रदर्शन पालक नहीं जातक करता है। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अगुवाकारों ने 4 जनवरी, 2012 का आदेश लाकर कार्य करने का रास्ता बना दिया 2 सितम्बर, 2013 और 14 मार्च, 2016 उनके कार्य रूप में परिर्णित करने व अधिकार की पुष्टि का अन्तिम आदेश है। अब आपको इसी पर कार्य करते हुए आगे बढ़ना है इतना पाने के बाद भी कुछ प्राप्त करने की तलाश में हैं आप ?क्या आपने ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वाहन किया है ? अपेक्षायें आवश्यक हैं लेकिन उन अपेक्षाओं के लिए कार्य आपको ही करने होंगे हर पल कुछ में कुछ प्राप्त होता रहता है लेकिन कुछ पाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे मात्र संवाद के माध्यम से या पूछ लेने से काम नहीं चलने वाला है कि कुछ प्राप्त हुआ है क्या ?

कुछ प्राप्त करने की तलाश में जो लोग कार्य कर रहे हैं वह सफलता न मिलने की बात करते हैं लेकिन हमारा मानना है कि वह सही मायने में कार्य कर ही नहीं रहे हैं, चूंकि किसी कार्य को करने के लिए जितने आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता होती है वह सारे उपकरण आपको बोर्ड द्वारा उपलब्ध करा दिये गये हैं, इन उपकरणों का प्रयोग कैसे करेंगे यह कला भी बोर्ड के अधिकारियों ने आपको सिखा दी है यदि आप अब भी नहीं सीख पाये तो बोर्ड के किसी सक्षम अधिकारी के सम्पर्क में आयें और जीवन जीने की कला सीखें। निराशा, अवसाद और चिन्ता आपको अकर्मण्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा किसी और के गुण दोषों पर चर्चा करने से अच्छा है हमें जो मिला है उसपर ही संतुष्ट हों और यह आप निश्चित मानिये कि आपको जितना कुछ मिल चुका है अगर उसका उपभोग आप नहीं कर पाते तो शायद आप कुछ और पाने के लायक नहीं हैं, विधि सम्मत ढंग से कार्य करते हुए उद्देश्य को पाने के लिए कार्य करें चूंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है लेकिन जो ले पायेगा वही उसका उपभोग करेगा इसके लिए कृष्ण और सुदामा का एक प्रसंग हर समय याद रखें कि सुदामा और कृष्ण परम मित्रों में थे सुदामा की दुर्दशा को देखकर कृष्ण ने उन्हें सबकुछ दे दिया लेकिन दिशा भ्रमित होने के कारण सुदामा कुछ नहीं देख पाये और कहा कैसा मित्र है ! कुछ दिया ही नहीं, ठीक इसी तरह केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने हम जैसे सुदामाओं को सबकुछ दे दिया है परन्तु हमारी दृष्टि अभी कुछ पाने की है। इसलिए कुछ प्राप्त करने की तलाश में भटकना छोड़कर जो मिला है उसका उपभोग करें निश्चित मानिये कि जब आप कार्य करने लगेंगे तब गज़ा आने लगेगा और तभी आपको वास्तविक स्वाद मिलेगा।

किसी ने कहा है – जो डूढ़ा तो पाईयां गहरे पानी पैठ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी यही लागू हो रहा है जो मन लगाकर सिर्फ कार्य के लिए समर्पित हैं वह सब पा रहे हैं और जो सतह पर तैरते हुए मोती की तलाश करता है उसे मोती की जगह सिर्फ पानी के बुलबुले ही मिलते हैं सतह से धरातल की दूरी ज़्यादा नहीं होती बस बुलन्द हौसले के साथ तैरना आना चाहिये और न चलने वाले के लिए थोड़ी दूरी भी वर्षों तक नहीं तय की जा सकती है।

औषधियों पर चर्चा क्यों नहीं

समय के साथ चलते हुये ही अच्छे परिणामों की अपेक्षा की जा सकती है,कल क्या था ?उसको भुलाना तो नहीं चाहिये परन्तु उसी से चिपके रहना भी किसी भी तरह से उचित नहीं होता है लेकिन उस अतीत को नकार देना भी किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं लगता है, अच्छा तो होता कि हम अपने अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य की योजना बनायें और कार्य को प्रमुखता दें, साहित्य के बाद दूसरा आवश्यक अंग है औषधि किसी भी चिकित्सा पद्धति की औषधियां ही उस पद्धति की उपादेयता सिद्ध करती हैं, औषधियों का शरीर पर क्या प्रभाव है ?यह औषधि सेवन के बाद ही शरीर यह बता पाता है कि औषधि शरीर पर किस तरह का प्रभाव डाल रही है ! यह सारी बातें तभी सम्भव हो सकती हैं जब औषधियों पर कार्य हो।

जहां तक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का प्रश्न है वे पूर्ण – रुपेण सुरक्षित व उपयोगी हैं, यह औषधियां जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अनुसार ही बनायी जाती हैं इसलिये इन औषधियों की प्रमाणिकता व गुणवत्ता पर किसी भी तरह के प्रश्न नहीं उठाये जा सकते हैं परन्तु जब बात उपयोगिता की आती है तब उपयोगिता तभी सिद्ध की जा सकती है जब रोगियों पर इसका प्रयोग किया जाये, रोगियों पर प्रयोग के लिये चिकित्सकों को कार्य करना होता है और कार्यों के परिणाम के आधार पर ही उपयोगिता सिद्ध होती है, कभी–कभी लोग लाभ और हानि पर भी तर्क करने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कारण किसी भी चिकित्सा पद्धति में शत–प्रतिशत सफलता नहीं मिलती है फिर यह चिकित्सक पर भी निर्भर करता है कि वह कितनी योग्यता के साथ औषधियों का निर्धारण कर रहा है ! इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां सीधे अंगों पर प्रभाव डालती हैं इसलिये औषधियों के चयन में चिकित्सकों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिये, यद्यपि इतने वर्षों के बीत जाने के उपरान्त भी आज तक ऐसा कोई उपक्रम गठित नहीं किया गया जो औषधियों की गुणवत्ता के बारे में कोई ठोस विश्लेषण कर सके।

ऐसी स्थिति में हमारे चिकित्सकों का यह दायित्व बनता है कि वह जिस रोगी पर जिस औषधि का प्रयोग करें उसका पूरा विवरण अपने पास सुरक्षित रखें, सरकार भले ही आपके विवरण से संतुष्ट हो या न हो परन्तु आपको पूर्ण संतुष्टि अवश्य मिलेगी, क्योंकि इसी रिकॉर्ड के आधार पर आप स्वंय में यह जान पायेंगे कि किस औषधि का किस अंग पर कितना और क्या प्रभाव पड़ा जो अन्य रोगियों के लिये आपके ज्ञान में वृद्धि करता है साथ ही साथ आपके अनुभव को भी चार चाँद लगाते हुये रोगोपचार में भी सहायक सिद्ध होता है इसीलिये कार्य को ही प्रमुखता दें, सरकार को जो करना है वह करती रहेगी, आपका कार्य चिकित्सा करना है इसलिये आप अपना पूरा ध्यान चिकित्सा कार्य पर लगायें, सरकार की हर कार्यवाही पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपना ध्यान व्यवसाय पर केन्द्रित करें। जानकारी लेना बुरी बात नहीं हैं परन्तु अत्यधिक जानकारी सिर्फ और सिर्फ भ्रम को जन्म देती है, हमारे कुछ साथी अपना अधिकांश समय जानकारियों के संकलन में ही व्यतीत कर देते हैं जिससे कार्य कुशलता तो प्रभावित होती ही है साथ–साथ व्यवसाय पर भी असर पड़ता है, सरकार जो कुछ भी निर्णय लेगी उसकी सूचना हर चिकित्सक तक पहुँचती है जो सरकार से सम्पर्क के कार्य में लगे हैं वे पूरा प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कोई स्थायी हल निकले जिसका लाभ सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जगत को प्राप्त हो।

वर्तमान में जो स्थितियां दिखायी पड़ रही हैं वे कहीं से भी विचलित करने वाली नहीं हैं धीरे–धीरे प्रतीक्षा की घड़ियां भी समाप्त हो रही हैं अब सरकार के पास अस्तु , किन्तु , परन्तु के लिये कोई अवसर नहीं है, उसे ठोस निर्णय लेना ही होगा और यह निर्णय कैसा होगा ? इसपर भी ज़्यादा सोच–विचार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये मैकेनिज़्म की अवधारणा की पूर्ति सरकार को करनी ही पड़ेगी। काउण्ट सीज़र मैटी के जीवन काल में ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर वैचारिक अन्तर्विरोध प्रारम्भ हो गया था, एक ओर जहाँ कुछ लोग मैटी की अवधारणा से सहमत थे वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे विचारक भी थे जो मैटी की अवधारणा को पूर्ण रुप से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे यद्यपि किसी ने भी मैटी के कार्यों का मुखर विरोध नहीं किया परन्तु आसानी से स्वीकार भी नहीं किया, मैटी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गुणवत्ता और योग्यता को सिद्ध करने के लिये तरह–तरह के उपक्रम करने के साथ–साथ कई प्रतिरोधों का सामना भी करना पड़ा परन्तु मैटी अपने सिद्धान्त पर अडिग थे इसीलिये उन्होंने कोई समझौता नहीं किया यह अलग बात है कि मैटी के जीवन काल में उनका कोई विश्वसनीय और योग्य उत्तराधिकारी नहीं था जिसके चलते इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वह स्थान नहीं मिल सका जो प्राप्त होना चाहिये था, जहाँ तक विन्ट्रोली मैटी की बात है तो विन्ट्रोली मैटी को सम्भवतः इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाने की प्रबल इच्छा शक्ति नहीं थी तभी जिम्पल जैसे होम्योपैथ अपनी विचारधारा थोपने में आंशिक रुप से सफल भी हुये।

आज जब देश में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मैकेनिज़्म के सन्दर्भ में बात चल रही है इस अवसर पर जो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं उनके मध्य औषधि निर्माण विधि को लेकर तरह–तरह की आशंकायें हैं और हर एक के अपने–अपने विचार हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण की प्रक्रिया का अंग है।

कार्य की महत्ता पर आदिकाल से विवेचना की गयी है महाभारत में कृष्ण ने कार्य को ही प्रमुखता दी है उन्होंने बताया कि कार्य की सफलता में यदि कोई अपने भी आड़े आ रहे हों तो उन्हें हटाने में संकोच नहीं करना चाहिय, इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज कार्य की मांग कर रही है ! इलेक्ट्रो होम्योपैथी जहां कहीं भी खड़ी है उसके पीछे कार्य है, कार्य समय की मांग होती है समयानुसार कार्य में अन्तर प्रत्यन्तर किये जाते हैं और समय आने पर उनका मूल्यांकन होता है। कोई वस्तु व्यक्ति या पद्धति हो उसको अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी ही पड़ती है, वैसे इस संसार की कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं है यह अलग बात है कि एक विचार– धारा किसी के लिए उपयोगी है वही विचारधारा दूसरा अपने लिए अनुपयोगी बताता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है वह है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति का साहित्य कितना समृद्ध है ! चूंकि साहित्य ही दिशा तय करता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना का प्रमुख आधार उसका साहित्य ही रहा है आज से 33 साल पहले स्वास्थ्य जगत की सबसे विश्वसनीय संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार द्वारा वांछित एक जानकारी के सन्दर्भ में भारत सरकार को अवगत कराया था कि आज से 50–60 साल पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक पुस्तक देखी गयी है यह इस बात का प्रमाण है कि साहित्य का अपना एक अलग स्थान है इसलिए जो लोग साहित्य सृजन के क्षेत्र में लगे हैं वह अति प्रमाणिकता के साथ तर्कसंगत और निर्दोष साहित्य का सृजन करें यही समय की मांग है। आज हम जितने लोग भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े हैं सभी कमोबेश काम कर रहे हैं और हर किसी के कार्य का अपना अलग उपयोग है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्षेत्र बहुत विशद है, हर क्षेत्र में लोग अपनी अपनी क्षमतानुसार कार्य भी कर रहे हैं जो आज की स्थिति है और जो सरकार की इच्छा, वह कार्य को ही प्रमुखतः दे रही है, जो साहित्य सृजन के क्षेत्र में लगे हैं उनका यह दायित्व और ज़्यादा बन गया है कि वह ऐसे साहित्य का सृजन करें जो नवीनतम जानकारी दे रहा हो और उपयोगी के साथ– साथ समयानुकूल भी हो। स्पैजिरिक को लेकर तरह–तरह की बातें भी हो रही हैं हर विशेषज्ञ का अपना अलग विचार है, कोई स्पैजिरिक को स्वीकार करता है तो कोई स्पैजिरिक शब्द पर ही प्रश्न खड़ा कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जब इस तरह के विचार वाइरल होते हैं तो उनका असर कितना ख़तरनाक होता है यह तो बहुत दिनों के बाद ही पता चलता है, स्पैजिरिक है या नहीं ! इन सब विषयों पर चर्चा करने से अच्छा है कि शब्द स्पैजिरिक से हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सहसम्बन्ध तलाशें यहाँ पर हम अपने पाठकों को बता देना चाहते हैं कि शब्द स्पैजिरिक एक ग्रीक शब्द से बना है

Spagyric[Greekword: Spac = to seprate agerio = to combine]

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों का निर्माण इसी स्पैजिरिक विधि से होता है इस पर सवाल खड़ा करने से बेहतर होता कि हमारे साथी एक मत बनाकर इसपर चर्चा करते, चर्चा तो हो रही है परन्तु यह चर्चा बेमक़सद सी लग रही है, इसपर वही व्यक्ति अपने विचार दे सकता है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का गहन अध्ययनकर्ता हो एवं साथ– साथ उसके अन्दर वैज्ञानिक दृष्टि का भी समावेश हो, सामान्य चिकित्सक ऐसे गम्भीर विषय पर अपनी राय क्या दे पायेगा यह तो चिकित्सक की योग्यता ही बता पाती है, यह तो सर्वविदित है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में औषधियों का निर्माण पादप जगत से होता है 114 पौधों से विभिन्न औषधियां बनतीं हैं, यह आज की बात है कुछ लोग दावा करते हैं कि मैटी के काल में मात्र 33 पौधों से ही औषधियां बनायी जाती थीं।

हमें इस तर्क–वितर्क में नहीं फंसना है कि पौधे 33 प्रयोग में लिये जाते थे या 114, हमारी प्रसन्नता इस बात की है कि लोगों में इस बात की सहमति तो है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में औषधियों का निर्माण सिर्फ पौधों से होता है, यही आम सहमति हमें आगे बढ़ने में सहायक लगती है क्योंकि अगर किसी ने यह कह दिया होता कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों में खनिज और विष का भी प्रयोग किया जाता है (जैसा कि होम्योपैथी में) तो एक नये विवाद को स्थान मिल जाता, जैसाकि हर निर्माता यह जानता है कि पहले पौधे का एक विशेष विधि द्वारा सत्व निकाला जाता है तत्पश्चात मिश्रण करके एक औषधि का निर्माण होता है, लोगों को जानकारी होनी चाहिये कि वर्तमान में प्रचलित जितनी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां हैं उनका निर्माण उसमें प्रयुक्त घटकों के समिश्रण से होता है जैसे बी० ई० (नीली बिजली) इस औषधि का निर्माण इसमें प्रयुक्त घटकों को उनके निर्दिष्ट अंशों के अनुसार मिश्रण करके निर्मित किया जाता है, जैसा कि स्पैजिरिक शब्द से स्वतः स्पष्ट है कि पहले अलग करो फिर मिश्रण करो इस विधि से औषधियों का निर्माण होता है इसलिए शब्द स्पैजिरिक पर चर्चा से बेहतर है कि इस स्पैजिरिक की योग्यता और उसकी विशेषता पर चर्चा की जाये कुछ लोग स्पैजिरिक को होम्योपैथी से भी जोड़ रहे हैं अब उनके सोचने की बात है कि होम्योपैथी और स्पैजिरिक का जन्म कब हुआ था ?

होम्योपैथी का जन्म पहले हुआ था या स्पैजिरिक का होम्योपैथी जहां एकल औषधि पर आधारित विधा है वहीं स्पैजिरिक कई पौधों के सत्व से मिलने के बाद बनता है यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धान्त है, कुछ लोग इस विषय पर ही अपनी राय दे रहे हैं कि स्पैजिरिक विधि कितने देशों में मान्यता प्राप्त है ? यह इस समय बहस का मुद्दा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता के मुहाने पर है, सरकार लगातार इस विषय पर विचार कर रही है कि किस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मामला सुलझा दिया जाये जिससे कि पूरे देश के लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथों के भविष्य का निर्धारण हो सके, जब सबकुछ सही चल रहा है और वातावरण भी ठीक ठाक है ऐसी

शेष पे 4 पर

वैज्ञानिक कसौटी पर सरकार को संतुष्ट करें

कई महीनों के बाद अब जो आने वाले महीने हैं वह महीने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये निर्णायक सिद्ध होने वाले हैं क्योंकि जैसा भारत सरकार ने प्राप्त प्रपोज़लों की समीक्षा हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था इस समिति ने प्रपोज़लों के माध्यम से प्राप्त सामग्री का विशद अध्ययन किया, अध्ययन के बाद उसकी समीक्षा के उपरान्त जब सरकार हर कोंण से सन्तुष्ट हो जायेगी तभी वह कोई निर्णय लेगी।

अब एक शब्द है सन्तुष्टि तो हमें इसपर गम्भीरता से विचार करना होगा कि सरकार की सन्तुष्टि क्या है ?सरकार हमसे क्या चाहती है ?हम जो कुछ भी दे रहे हैं क्या सरकार की सन्तुष्टि के लिये पर्याप्त है ! क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि सरकार जिस विषय का निस्तारण करना चाहती है वह उस विषय पर स्वंय ही सन्तुष्ट रहती है (जिसका जीता जागता उदाहरण सोवा–रिग्पा चिकित्सा पद्धति का नियमतिकरण है) और जो विषय उसे लम्बी अवधि तक टालने होते हैं उन विषयों पर सरकार की सन्तुष्टि की गति बड़ी ही धीमी होती है, जहां तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात है और उससे जुड़ी बातें जिससे कि सरकार को सन्तुष्टि मिल सके तो यह बड़ा अजब संयोग है।

एक तरफ़ भारत सरकार 21 जून, 2011 का आदेश जारी कर पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के विकास हेतु पूरा अवसर प्रदान कर रही है, यह तभी सम्भव हुआ है जब सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की गतिविधियों से सन्तुष्ट हो गयी होगी, अब जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमतिकरण की बात आयी तो सरकार को सन्तुष्ट होने के लिये फिर कुछ चाहिये इस बार सन्तुष्टि के लिये जो बिन्दु उठाये गये उन बिन्दुओं पर एक नहीं कई बार सरकार को प्रमाणों के आधार पर सन्तुष्ट किया जा चुका है, परन्तु सरकार तो सरकार होती है वह जबतक सन्तुष्ट नहीं होगी तबतक आपको बार–बार सन्तुष्ट करना पड़ेगा, सरकार चाहती है कि इस सन्तुष्टि के खेल में कहीं कोई ऐसा गलत जवाब आ जाये जिसे पकड़ कर सरकार राई का पहाड़ बना कर गतिरोध पैदा कर सके इसलिये हमें हर समय सतर्क रहना होगा और सरकार को अपनी तरफ़ से कोई ऐसा अवसर नहीं देना है जिससे कि सरकार का पलड़ा भारी हो सके।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज से तीस साल पहले परस्पर जितनी प्रगाढ़ता दिखायी देती थी आज उतनी ही दूरियाँ नज़र आती हैं, यदि हम 90 से लेकर 2003 तक के कालखण्ड में दृष्टिपात करें तो जो दृश्य उभरकर सामने आता है वह काफ़ी सुन्दर और अच्छा होता है, उन दिनों सभी लोग काम करते थे, अलग–अलग काम करते हुये भी लोगों में किसी के प्रति कटुता के भाव दूर–दूर तक नहीं दिखायी देते थे।

काम करते हुये भी लोगों के मन में परस्पर प्रेम का भाव था, सबलोग मिलजुल कर काम करते हुए यही प्रयास करते थे कि किसी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कल्याण हो, उस समय सबका यही उद्देश्य था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शासकीय संरक्षण प्राप्त हो तथा इस चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को वही सम्मान मिले जो प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को प्राप्त है, इसके लिए पूरे देश में विभिन्न संगठनों के द्वारा आन्दोलन भी चलाये जाते थे और उन आन्दोलनों में देश के सभी संगठन पूरे मनोयोग से सहभागिता भी करते थे, ऐसा नहीं है कि उस समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति कुछ भिन्न रही हो, जबकि सत्य तो यह है कि आज की इलेक्ट्रो होम्योपैथी उस समय की इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ज़्यादा सशक्त और सबल है। आज जितना अधिकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्राप्त हो गया है उतने अधिकार के लिये उन दिनों हम सब संघर्ष किया करते थे, जितने शासकीय आदेश आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये सरकार ने जारी किये हैं उस समय हम सब एक छोटे से आदेश की प्रतीक्षा किया करते थे, उन दिनों के संघर्षों का ही परिणाम है कि आज भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने का पूरा मन बना लिया है।

28 फरवरी, 2017 को जो नोटिफ़िकेशन भारत सरकार ने जारी किया वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति कितनी मज़बूतर है परन्तु जहाँ शासन स्तर पर हम जितने मज़बूत हुये हैं वहीं हम परस्पर एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गये हैं और यह दूरियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गयी हैं कि एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव तक समाप्त हो चुका है, जो लोग एक दूसरे के लिये हर समय तैयार रहते थे वही आज एक दूसरे से मिलना तक पसन्द नहीं करते हैं।

सामान्य शब्दों में जो वातावरण निर्मित हो रहा है वह कटुतापूर्ण वातावरण है, श्रद्धा की बात तो दूर लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव तक नहीं दिखायी पड़ता है, यह बढ़ती हुयी दूरियाँ बहुत कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रही हैं और आने वाले समय में यह दूरियाँ किसी भी अच्छे परिणाम का संकेत नहीं हैं, जो भी घटनायें इस समय घट रही हैं वह न तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये अच्छी हैं और न ही सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्था संचालकों के लिये।

यह प्रतिस्पर्धा कौन सी दिशा बना रही है इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है लेकिन अनुमान यही बता रहे हैं कि इस तरह की घटनायें कदाचित ठीक नहीं हैं, हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि सरकार जो कुछ भी कदम उठायेगी वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये उठायेगी न कि किसी व्यक्ति विशेष या संगठन के लिये, यह अलग बात है कि कुछ विशेष जानकारी के लिये सरकार किसी को भी कुछ समय के लिये नामित कर दे परन्तु जो कुछ भी निर्णय सरकार द्वारा लिया जायेगा उसका प्रभाव उन सभी पर पड़ेगा जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से किसी भी स्तर से जुड़े हैं।

यदि कोई संस्था या संगठन यह दावा करे कि सरकार उसी के पक्ष में निर्णय देगी तो यह स्वंय को धोखा देना ही है क्योंकि यह अभी भी कोई नहीं जानता है कि सरकार किस प्रकार सन्तुष्ट हो गी औषधि निर्माण, औषधियों की उपादेयता कुछ ऐसे गम्भीर विषय हैं जिस पर हम सभी को एक मत होना होगा, अच्छा तो यह होगा कि जो भी किया जाये वह टू दि पॉइन्ट तथा प्रमाणिक हो जिससे कि हर समय अवसर बना रहे।

औषधियों पर चर्चा पेज 3 से आगे

परिस्थितियों में कोई नई व्यवस्था नहीं पैदा होनी चाहिये क्योंकि कभी कभी चलती हुई व्यवस्था को रोक देना भी नई परिस्थितियों को जन्म दे देती है। 30 दिसम्बर का समय आने में अभी दो महीने का समय शेष है इन दो महीनों के बाद जैसा कि सरकार कह रही है कि प्राप्त प्रपोज़लों पर भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति समीक्षा करेगी तदोपरान्त कोई निर्णय लिया जायेगा, सरकार ने प्रपोज़लों के माध्यम से जितनी भी जानकारी चाही है उसमें से लगभग–लगभग सभी जानकारियां सरकार के पास उपलब्ध हैं सरकार तो प्रपोज़लों के माध्यम से आपकी जानकारी लेना चाहती है, यह बहुत छोटी सी समझदारी की बात है कि यदि सरकार के पास पूर्ण जानकारी न होती और सरकार उस जानकारी से सतुष्ट न होती तो शायद 21 जून, 2011 का मज़बूत आदेश न जारी करती 21 जून का आदेश मज़बूत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यही एक ऐसा आदेश है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान हेतु अनुशंसा प्रदान करता है अनुशंसा के साथ साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईज़री में भी इसी आदेश को आधार बनाया गया, यह सारी की सारी परिस्थितियां इस बात को इंगित कर रही हैं कि भारत सरकार अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई न कोई नीति निर्धारित कर ही देना चाहती है, नीति का स्वरूप क्या होगा ?यह तो कोई नहीं जानता परन्तु अब जो भी नीति बनेगी वह किसी संस्था विशेष, संगठन विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए न होकर सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए बनेगी।

ऐसी परिस्थितियों में हमारे अपने सभी साथियों को चाहिये कि छोटे छोट मसले पर मतभेद न रखें जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भला हो उसे स्वीकारने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिये, स्पैजिरिक का विषय अपने आप में अति महत्वपूर्ण है इस पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और हैं भी परन्तु यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भला हो रहा है तो कुछ दिनों के लिए अपने विचारों में साम्यता रखें एक बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित हो जाने दें फिर हर एक को अवसर मिलेगा कि वह अपने विचार रख सके फिर जो विचार चिकित्सा पद्धति के हित में होंगे उनकी स्वीकारिता में सम्भवतः सरकार कोई अड़ंगा नहीं लागायेगी जब किसी का विकास होता है तो उसमें बहुत सारी नई–नई बातें जुड़ती हैं क्योंकि विज्ञान निरन्तर शोध करता है और शोध नवीनता को जन्म देता है, जब भी कोई चीज़ नई होती है तो उसमें बहुत सारे अन्तर होते हैं, पूराने को नये से जुड़ना ही स्वीकारिता है कभी कभी अत्याधिक लाभ के लिए पुराने के स्थान पर नये को लाना पड़ता है परन्तु इससे न तो पूराने का महत्व कम होता है और न ही पूराने की उपयोगिता।

ऐसी दशा में हम सब जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े हैं उनका यह नैतिक दायित्व है कि ऐसी व्यवस्था का समर्थन करें जो वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बढ़ते कदम को और गति प्रदान कर सके।

विकास और इलेक्ट्रो होम्योपैथी

जब विकास की बात चलती है तो यह बात आती है कि क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास नहीं हो रहा है ? यदि हम गम्भीरता से विचार करें तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति के विकास का आंकलन उस चिकित्सा पद्धति के जनोपयोग पर आधारित होता है दूसरा उसकी शिक्षण व्यवस्था पर, विकास में निरन्तरता बनी रहे इसके लिए अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य होते रहने चाहिये चूंकि अनुसंधान ही हमें नवीनता से परिचय कराता है। यदि हम आज से 5 साल पहले के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास पर दृष्टि डालें और देखें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कितनी प्रैक्टिस हो रही है ?समाज में इसे कितना स्वीकारा जा रहा है ?तो इसके आंकलन का सीधा–साधा रास्ता है कि औषधियों की मांग और पूर्ति का अनुपात क्या है ?आज से 5 वर्ष पूर्व तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां चन्द लोग ही बनाते थे, मांग भी बहुत कम थी, इन पांच सालों के अन्दर पूरे देश में एक सैकड़ा से ज़्यादा दवा निर्माण इकाईयां असित्व में आई हैं और हर कम्पनी दावा करती है कि उनकी कम्पनी लाखों का वार्षिक टर्न–ओवर करती है।

नित नई कम्पनियां खुलती जा रही हैं यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है, प्रैक्टिस भी बढ़ी है, सीधा सा फण्डा है कि दवा खरीदी जाती है तो व्यवहार में भी लायी जाती होगी। यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लोकप्रियता का स्पष्ट उदाहरण है, हाँ एक बात ज़रूर है कि आज पीढ़ीयों में टकराव के स्पष्ट दर्शन होते हैं पुराने लोग मैटी के सिद्धान्तों से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं फलतः नई पीढ़ी के लोग कभी कभी ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जो कि नई व्यवस्थाओं को जन्म दे देते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थापित हो उसका यथा सम्भव विकास हो शासकीय संरक्षण और ज़्यादा प्राप्त हो हमारे साथियों को भी शासकीय सेवाओं में अवसर मिले यह सारी कि सारी कामनायें तभी फलीभूति होंगी जब पीढ़ियों के बीच वैचारिक समानता जन्म लेगी। अपने विचारों को रखना हर एक का अधिकार है लेकिन अपने ही विचारों को थोपना उचित नहीं है।